B — कौशल एवं अवसर

प्रशिक्षुता / प्लेसमेंट सेल

यह संस्थान क्या है

प्रशिक्षुता या प्लेसमेंट सेल किसी ITI (औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान), पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग कॉलेज अथवा डिग्री कॉलेज के भीतर एक इकाई होती है, जो विद्यार्थियों को नियोक्ताओं से जोड़ती है, प्रशिक्षुता पंजीकरण की सुविधा प्रदान करती है और रोजगार के परिणामों पर नज़र रखती है। यह एक स्वतंत्र संस्थान नहीं है। DGT (प्रशिक्षण महानिदेशालय) प्रत्येक सरकारी ITI में एक प्रशिक्षण एवं प्लेसमेंट अधिकारी (TPO) की नियुक्ति को अनिवार्य करता है। AICTE (अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद) पॉलिटेक्निक तथा इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रशिक्षण एवं प्लेसमेंट सेल को अनिवार्य बनाती है। राष्ट्रीय स्तर पर, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय प्रशिक्षु प्रोत्साहन योजना (PM-NAPS, पूर्व नाम NAPS — राष्ट्रीय प्रशिक्षु प्रोत्साहन योजना) apprenticeshipindia.gov.in के माध्यम से संचालित होती है और इसका कार्यान्वयन MSDE (कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय) करता है; राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रशिक्षण योजना (NATS) का कार्यान्वयन शिक्षा मंत्रालय nats.education.gov.in के माध्यम से करता है; दोनों शिक्षु अधिनियम (एए), 1961 (अंतिम संशोधन 2014) के अंतर्गत संचालित हैं। PM-NAPS, समग्र स्किल इंडिया कार्यक्रम (SIP) के अंतर्गत प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY) 4.0 तथा जन शिक्षण संस्थान (JSS) के साथ स्थित है। PM-SETU (प्रधानमंत्री कौशल शिक्षा एवं प्रशिक्षण उत्थान) ने चयनित ITI को उन्नत उद्योग संपर्क वाले हब संस्थान घोषित किया है।

> **यह आपके लिए क्यों मायने रखता है**
>
> यदि आप किसी ITI, पॉलिटेक्निक अथवा कॉलेज में हैं और अपना पाठ्यक्रम पूरा करने के बाद नौकरी या प्रशिक्षुता प्राप्त करना चाहते हैं, तो प्लेसमेंट सेल का दायित्व है कि वह आपको नियोक्ताओं से जोड़े। TPO (प्रशिक्षण एवं प्लेसमेंट अधिकारी) से नाम से पूछें।

प्रशासन

कानून / नीति	दायरा
शिक्षु अधिनियम (एए), 1961 (अंतिम संशोधन 2014)	प्रतिष्ठानों में प्रशिक्षुता प्रशिक्षण को नियंत्रित करता है
स्किल इंडिया कार्यक्रम (केंद्रीय क्षेत्रक योजना, MSDE; कैबिनेट द्वारा 2025 में पुनर्संरचित)	PMKVY 4.0, PM-NAPS (पूर्व NAPS) तथा JSS को कवर करने वाली समग्र अंब्रेला योजना
PM-NAPS / NAPS-2.0 दिशानिर्देश (MSDE, 2023)	प्रशिक्षुता प्रोत्साहन योजना के लिए परिचालन दिशानिर्देश
NATS दिशानिर्देश	शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत डिग्री / डिप्लोमा धारकों के लिए प्रशिक्षुता
PM-SETU योजना	उन्नत प्लेसमेंट वाले उन्नयित ITI के लिए 60,000 करोड़ रुपये की योजना
DGT / AICTE दिशानिर्देश	ITI, पॉलिटेक्निक तथा तकनीकी संस्थानों में प्लेसमेंट सेल को अनिवार्य बनाते हैं

- **मंत्रालय विभाजन:** PM-NAPS का कार्यान्वयन MSDE (DGT) करता है; NATS का कार्यान्वयन शिक्षा मंत्रालय Boards of Apprenticeship Training (BoATs) के माध्यम से करता है।
- **ITI के भीतर:** DGT → राज्य निदेशालय → प्रधानाचार्य → TPO
- **क्षेत्रीय निरीक्षण:** DGT जिलों भर में क्षेत्रीय / सहायक प्रशिक्षुता सलाहकार तैनात करता है
- **संस्थागत समितियाँ:**
- **पॉलिटेक्निक / इंजीनियरिंग कॉलेजों में:** AICTE मानदंडों के अनुसार प्लेसमेंट समिति — TPO संयोजक के रूप में; विभागाध्यक्ष (HODs), एक उद्योग प्रतिनिधि, एक पूर्व-छात्र प्रतिनिधि, छात्र प्रतिनिधि; प्रत्येक सेमेस्टर में प्लेसमेंट प्रदर्शन की समीक्षा करती है
- **सरकारी ITI में:** Institute Management Committee (IMC) अपनी व्यापक प्रशासनिक भूमिका के साथ-साथ प्लेसमेंट-निगरानी का कार्य करती है; TPO प्रधानाचार्य को रिपोर्ट करते हैं तथा IMC बैठकों में प्लेसमेंट डेटा प्रस्तुत करते हैं
- **वित्त-पोषण:** संस्थागत बजट का भाग; अधिकांश राज्यों में प्लेसमेंट सेल हेतु अलग बजट नहीं

प्रमुख पद

पद	उत्तरदायित्व
प्रशिक्षण एवं प्लेसमेंट अधिकारी (TPO)	नियोक्ता संबंध, कैंपस ड्राइव, प्रशिक्षुता पंजीकरण, पूर्व-छात्र ट्रैकिंग
प्रधानाचार्य / संस्थान प्रमुख	प्लेसमेंट परिणामों के लिए समग्र उत्तरदायित्व
प्रशिक्षुता सलाहकार (क्षेत्रीय)	DGT-नियुक्त; जिलों भर में प्रशिक्षुता कार्यान्वयन की देखरेख

अनिवार्य सेवाएँ

- विद्यार्थियों को राष्ट्रीय प्रशिक्षु प्रोत्साहन योजना (NAPS) पोर्टल (apprenticeshipindia.gov.in) पर पंजीकृत करना तथा प्रतिष्ठानों से उनका मिलान करना
- नियोक्ता-दौरों एवं साक्षात्कारों के साथ कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव का आयोजन करना
- स्थानीय कारख़ाना तथा व्यावसायिक दौरों के माध्यम से नियोक्ता-संबंधों का निर्माण एवं अनुरक्षण करना
- पूर्व-छात्र ट्रैकिंग रिकॉर्ड बनाए रखना: स्नातक कहाँ कार्यरत हैं, वेतन क्या है, रोजगार किस क्षेत्र में है
- विद्यार्थियों के लिए उद्योग-दौरों एवं कार्यस्थल-संपर्क का आयोजन करना
- नियोक्ता के कौशल-गैप फीडबैक को संस्थान तक पहुँचाना

संबंधित योजनाएँ

- **PM-NAPS (NAPS-2)** — सरकार निर्धारित स्टाइपेंड का 25% (अधिकतम 1,500 रुपये/माह तक सीमित) सीधे प्रशिक्षु को Direct Benefit Transfer (DBT) के माध्यम से देती है; शेष 75% नियोक्ता वहन करता है। पोर्टल: apprenticeshipindia.gov.in
- **NATS** — सरकार निर्धारित स्टाइपेंड का 50% (स्नातक प्रशिक्षुओं के लिए अधिकतम 4,500 रुपये/माह, डिप्लोमा प्रशिक्षुओं के लिए 4,000 रुपये/माह तक सीमित) ऑन-द-जॉब प्रशिक्षण के दौरान सीधे प्रशिक्षु को DBT के माध्यम से देती है; शेष नियोक्ता वहन करता है। NATS 2.0 पोर्टल (nats.education.gov.in), जिसे शिक्षा मंत्रालय (MoE) ने 30 जुलाई 2024 को आरंभ किया, पंजीकरण, प्रशिक्षुता जीवन-चक्र प्रबंधन तथा DBT स्टाइपेंड वितरण के लिए अंत-से-अंत मंच है
- **प्रमाणन:** NAPS के अंतर्गत प्रशिक्षण पूरा करने पर, designated-trade प्रशिक्षु All India Trade Test (AITT) में शामिल होते हैं और उत्तीर्ण होने पर NCVET (राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद) / DGT द्वारा जारी National Apprenticeship Certificate (NAC) प्राप्त करते हैं (यह नियामक-एवं-परिचालन-निकाय जोड़ी 2018 में तत्कालीन NCVT — पूर्व राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद के स्थान पर आई)। NAPS के optional-trade प्रशिक्षु तथा NATS के अंतर्गत प्रशिक्षु, भारत सरकार द्वारा जारी Certificate of Proficiency (CoP) प्राप्त करते हैं
- **PM-SETU** — उद्योग हब तथा उन्नत प्लेसमेंट वाले उन्नयित ITI
- **स्किल इंडिया डिजिटल हब** — कौशल एवं प्लेसमेंट के लिए डिजिटल मंच

पता कैसे लगाएँ

पोर्टल: स्किल इंडिया डिजिटल हब (skillindiadigital.gov.in) स्किल इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत कौशल तथा प्रशिक्षुता हेतु MSDE-पक्ष का खोज पोर्टल है। NAPS-विशिष्ट सूचियाँ apprenticeshipindia.gov.in पर हैं; NATS nats.education.gov.in पर। ncvtmis.gov.in पर NCVT MIS पोर्टल (परिचालन रूप से नाम बरकरार; अंतर्निहित नियामक अब NCVET / DGT है) ITI विवरण रखता है

यह भी: सरकारी ITI या पॉलिटेक्निक जाएँ और सीधे TPO अथवा प्लेसमेंट सेल के बारे में पूछें

प्रमुख सुविधाएँ

एक क्रियाशील प्लेसमेंट सेल में होना चाहिए: कंप्यूटर, इंटरनेट, प्रिंटर तथा टेलीफोन सहित एक समर्पित कमरा; उपलब्ध प्रशिक्षुताओं तथा रिक्तियों को प्रदर्शित करने वाला सूचना बोर्ड; NAPS पोर्टल तथा छात्र डेटाबेस तक पहुँच; तथा प्लेसमेंट एवं प्रशिक्षुता डेटा हेतु एक रिकॉर्ड-कीपिंग प्रणाली।

एक क्रियाशील प्लेसमेंट सेल कैसा दिखता है

- एक नामित TPO मौजूद है (केवल न्यूनतम समय आवंटित किसी संकाय सदस्य से अधिक)
- पिछले बैच के विद्यार्थी NAPS पोर्टल पर पंजीकृत हैं तथा उनकी प्रशिक्षुताएँ आरंभ एवं पूर्ण हुई हैं
- विगत शैक्षणिक वर्ष में कैंपस प्लेसमेंट हेतु कंपनियाँ आ चुकी हैं (नामों सहित सूची उपलब्ध है)
- अंतिम स्नातक बैच के प्लेसमेंट डेटा को विशिष्ट नामों एवं कंपनियों के साथ सत्यापित किया जा सकता है
- अंतिम-वर्ष के विद्यार्थी NAPS तथा प्लेसमेंट सेल की सेवाओं के बारे में जानते हैं
- संस्थान में पढ़ाए जाने वाले व्यवसाय जिले में मौजूद उद्योगों से मेल खाते हैं

शिकायत निवारण

सेवा वितरण के दौरान। पहला संपर्क बिंदु TPO (प्रशिक्षण एवं प्लेसमेंट अधिकारी) अथवा प्रधानाचार्य होते हैं। प्रशिक्षुता-विशिष्ट मुद्दों के लिए, क्षेत्रीय / सहायक प्रशिक्षुता सलाहकार (DGT-नियुक्त) एक समानांतर मार्ग है।

सेवा के बाद। शिकायत मेज़बान संस्थान के प्रशासन (प्रधानाचार्य, शासी निकाय) तथा राज्य व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण निदेशालय (DVET) / तकनीकी शिक्षा निदेशालय (DTE) / उच्च शिक्षा निदेशालय (DHE) तक बढ़ाई जाती है। NAPS से संबंधित मामलों के लिए, DGT के क्षेत्रीय कार्यालय तथा कौशल विकास मंत्रालय का क्षेत्राधिकार है।

बाहरी। NAPS शिकायतें apprenticeshipindia.gov.in → Grievance के माध्यम से जाती हैं। NATS (डिग्री / डिप्लोमा प्रशिक्षुता) शिकायतें nats.education.gov.in के माध्यम से जाती हैं। MSDE तथा AICTE क्रमशः msde.gov.in तथा aicte-india.org के माध्यम से शिकायतें स्वीकार करते हैं। केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली (CPGRAMS, pgportal.gov.in) समेकित मार्ग है।

—